तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.3.21	पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष उपस्थित। समय अभाव के कारण आदेश नही लिखा गया। वास्ते पत्रावली आदेश हेतु नियत दिनांक 26.3.21 को पेश हो। आगामी दिनांक तक जारी अस्थाई निषेधाज्ञा बढ़ाई जाती है।	
26.3.21	पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष उपस्थित. बहस के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम बांकली, पटवार हल्का-चांखेड तहसील माण्डल मे स्थित आराजी नं. 1096 मे आने-जाने हेतु एवं आराजी नं. 1101 मे किसी तरह का निर्माण कार्य अप्रार्थीगण नही करे। विपक्षीगण को मौके की यथास्थिति रखने हेतु पाबंद किया जावे। इसके विरुद्ध विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता ने अपने जवाब को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी ने अन्य खातेदारो को उक्त प्रकरण मे पक्षकार नही बनाया एवं अप्रार्थी आराजी नं. 1101 का रिकार्डेड खातेदार है एवं रिकॉर्डेड खातेदार के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा नही दी जा सकती है, एवं आराजी नं. 1096 जो आबादी से लगती हुई आराजी होकर उससे आगे स्वयं प्रार्थी का मकान है ऐसी परिस्थिति मे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे तथ्यो के विरोधाभास होने से उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से खारीज योग्य है। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा	

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.04.16 12:58:16 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	

पक्षकारान् की बहस पर मनन किया तथा विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा का अवलोकन करने से यह जाहिर आया कि अप्रार्थी के रेकार्डेड खातेदार होने से प्रार्थी का कोई प्रथम दृष्टया मामला नही है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थी को कोई अपूरणीय क्षति भी नही हो रही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज करने योग्य समझती हूं।

अतः आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को साबित कराने मे असफल रहने के कारण पूर्व मे जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 24.12.20 को निरस्त की जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.A को खारीज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.06.16 12:58:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा